



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE  
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL  
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,  
BHOPAL - 462016 (M.P.)



TEL: 0755-2466525 E-mail: [rowz.bpl-mef@nic.in](mailto:rowz.bpl-mef@nic.in)

क्रमांक: 6-एमपीआर 015/2023-बीएचओ/

दिनांक : 12/02/2024

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)  
मध्यप्रदेश शासन,  
वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश)।

विषय: धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु 244.039 हेक्टेयर (237.385 हे. धार एवं 6.654 हे. अलीराजपुर वनमण्डल) वनभूमि उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम रेलवे बड़ोदरा को उपयोग पर देने बाबत (FP/MP/RAIL/154962/2022)

संदर्भ: 1. नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-5/1259/2023/10-11/348 दिनांक 18/01/2024.

2. आर.ई.सी. कार्यवृत्त क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/289 दिनांक 06/02/2024 & FRCM Meeting dated 06/02/24.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर.ई.सी. बैठक दिनांक 29/01/2024 को आयोजित की गयी। बैठक में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त दिनांक 06/02/2024 (संदर्भित पत्र-2) एवं एफ.आर.सी.एम. बैठक दिनांक 06/02/2024 अनुसार अन्य वांछित जानकारी/स्पष्ट टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित है:-

1. The revised KML of proposed diversion area i.e. 244.039 with the Station area marked, shall be submitted.
2. In response to point 6, all components in the performa of cost benefit analysis neither quantified in monetary terms nor the cost-benefit ratio has been furnished. The same shall be submitted correctly.
3. In reply to clarification on point 9 of this office EDS dated 18.12.2023 the same KML file has been uploaded against 25.0 ha patch and 30.00 ha patch in Sardarpur Range-476. Rectification is still needed and the same needs be corrected accordingly in online portal.
4. The reply related to violation is not as per the provisions. The State Govt needs to initiate action in accordance with FCA and Rules taking action against the authority responsible for violation of FCA, 1980 and against the officials who have not been able to prevent violation of FCA, 1980. Detailed report needs to be submitted in this regard.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

  
(डॉ. योगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल।